FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
प्रहलादराम पुत्र त्रिलोकसिंह जाति दर्जी आयु 52 वर्ष निवासी 12बी, इन्द्रापूरी कॉलोनी, पटियाला पंजाब।		राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक नागौर

किस्म मुकदमा फौजदारी प्रार्थना पत्र **संख्या** 63 **सन्** 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
13.12.2021	वकील प्रार्थी ने धारा 457 सी.आर.पी.सी. के तहत यह फौजदारी प्रार्थना पत्र पुलिस थाना डीडवाना द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 125/2021 अपराध अन्तर्गत धारा 467, 468, 471, भा0दं0सं0 व धारा 3, 5, 6 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनिमय) नियम 1995 के तहत दर्ज प्रकरण में प्रार्थी की जब्त शुदा वाहन ट्रक नं. पीबी 11 सीआर 2057 को जमानतनामा व सुपुर्दगी नामा पर छोड़े जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अभियोजन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को मय उक्त प्रकरण अनुसंधान पत्रावली सहित दिनांक 20.12.2021 को न्यायालय हाजा मे उपस्थित होने हेतु पाबन्द करावें। पत्रावली दिनांक 20.12.2021 को पेश हो। जिला कलक्टर, नागौर	
20/12/21	प्रार्थी की ओर से वकील श्री योगेश कुमार शर्मा उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री सुरेश कुमार रोयल उपस्थित। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. पर वकुलाय की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थी का तर्क रहा कि जब्त शुदा वाहन ट्रक पंजीयन संख्या पीबी 11 सीआर 2057 का प्रार्थी मालिक है। उक्त वाहन प्रार्थी के अलावा अन्य कोई स्वामी नहीं है। उक्त वाहन को पुलिस थाना डीडवाना द्वारा उनके प्रकरण संख्या 125/2021 में जब्त कर रखा है। उक्त वाहन पुलिस थाना डीडवाना में देखरेख के अभाव में पड़ा-पड़ा खराब हो रहा है, जबकि प्रार्थी की आजीविका का एकमात्र साधन उक्त वाहन ही है। पुलिस थाना डीडवाना को उक्त वाहन की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में किसी प्रकार का अनुसंधान बकाया नहीं रहा है न ही अनुसंधान हेतु उक्त वाहन की आवश्यकता है। प्रार्थी को जरिये जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा के उक्त वाहन सुपुर्द किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थी न्यायालय हाजा द्वारा अधिरोपित प्रत्येक शर्त की अनुपालना करने को तत्पर होने का कथन करते हुए वकील प्रार्थी ने उक्त जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी को सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर सुपुर्द करने का निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में जब्त शुदा वाहन ट्रक पंजीयन संख्या पीबी 11 सीआर 2057 की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है।	मूल केस डायरी प्राप्त की मु.कं. 766 PS डीडवाना 23/12/21

कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 17:44:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
फौ० प्रार्थना पत्र सं. 63/2021
प्रहलादराम v/s राज. सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20/12/21 लगातार		

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं प्रस्तुत केस डायरी का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत असल दस्तावेज बाद अवलोकन वकील प्रार्थी को लौटाये गये। प्रार्थी का वाहन पुलिस थाना डीडवाना के प्रकरण संख्या 125/2021 में जब्त कर रखा है। प्रकरण के संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना डीडवाना द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक—— 20.12.2021 के अनुसार प्रकरण में जब्त शुदा वाहन पीबी 11 सीआर 2057 की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है, वाहन सुपुर्द किया जाये तो कोई आपति नहीं है। मामले के तथ्यों को देखते हुए, प्रार्थी को उक्त जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दं.प्र.सं. एतद् द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में 14,00,000/—रूपये (अक्षरे रूपये चौदह लाख मात्र) का सुपुर्दगीनामा व इसी कदर की राशि का जमानतनामा, नीचे अंकित शर्तों अनुसार, उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के समक्ष प्रस्तुत कर प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दिये जाने पर, उपखण्ड अधिकारी डीडवाना द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना डीडवाना को पुलिस थाना डीडवाना के प्रकरण संख्या 125/2021 में जब्त शुदा वाहन ट्रक पंजीयन संख्या पीबी 11 सीआर 2057 प्रार्थी प्रहलादराम पुत्र त्रिलोकसिंह जाति दर्जी आयु 52 वर्ष निवासी 12बी, इन्द्रापूरी कॉलोनी पटियाला पंजाब को उक्त जब्तशुदा वाहन अन्य किसी प्रकरण में वांछित नहीं हो तो नियमानुसार सुपुर्द करने बाबत तहरीर जारी की जावे।—

1. कि प्रार्थी उक्त वाहन का वर्तमान अवधि का वैध बीमा प्रपत्र प्रस्तुत करेगा।
2. कि प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने के पश्चात इसके रंग—रोगन व ढ़ाचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा।
3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की अनुमति के उक्त वाहन को किसी को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित, रहन एवं बैचान आदि नहीं करेगा।
4. कि जब भी न्यायालय तलब करे, प्रार्थी अपने स्वंय के खर्चे से, उक्त वाहन को न्यायालय में पेश करेगा।

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा बाद तस्दीक, तथा थानाधिकारी डीडवाना द्वारा उक्त वाहन व असल दस्तावेज प्रार्थी को सुपुर्द करने पर सपुर्दगी की रसीद प्राप्त कर इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को पालनार्थ भिजवाई जावे। पुलिस थाना डीडवाना की मूल केश डायरी संबंधित को लौटाई जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही फैसल शुमार हो व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 17:44:09 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर नागौर
कलक्टर, नागौर